संख्या-19/2019/583/24-1-19-18पी/2014

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2019**

विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-199/मु0म0प्र0(वित्त)/निधि-II/आय-व्ययक/341/2018-19/टीसी, दिनांक 15 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05- संचरण तथा वितरण -190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश -07- उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूंजी -30- निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 1604,66,00,000/- (रूपये एक हजार छः सौ चार करोड छाछठ लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 225,39,80,000/-/-(रूपये दो सौ पच्चीस करोड उन्तालीस लाख अस्सी हजार मात्र) लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -06- ग्रामीण विद्युतीकरण -190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश -05- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति -30- निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 150,00,00,000/-(रूपये एक सौ पचॉस करोड मात्र) में से धनराशि रूपये 75,00,00,000/- (रूपये पचहतर करोड मात्र) एवं लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -80- सामान्य -190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश -04- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु अंशपूंजी (के 60/रा0 10/नि0 30-के0 +रा0) (के0 1556 करोड रूपये + रा0 544 करोड रूपये) -30- निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 2100,00,00,000/- (रूपये दो हजार एक सौ करोड मात्र) में से धनराशि रूपये 154,11,10,000/-(रूपये एक सौ चौवन करोड ग्यारह लाख दस हजार मात्र) को संलग्नक बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए कुल धनराशि रूपये 454,50,90,000/- (रूपये चार सौ चौवन करोड़ पचॉस लाख नब्बें हजार मात्र) को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" में से स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्वुत वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु यू0पी0पी0सी0एल0/डिस्काम्स के बिजनेस प्लान के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा इन कार्यों को व्यापार विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों से पूर्णतया पृथक रखा जाये।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में अंकित व्यवस्था का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2018-19 में वितरण कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को अंशपूँजी के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष डिस्कॉमवार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के समस्त वास्तविक वित्तीय एवं भैतिक प्रगति का विवरण अलग-अलग से सभी डिस्काम्स के प्रबन्ध निदेशकों से प्राप्त कर शासन को

http://shasanadesh.up.nic.in